संख्याः– /XXVII(1)/2006

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तरांचल
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांकः २० :दिसम्बर,2006

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु नगरपालिका परिषदों को धनराशि का संक्रमण (चतुर्थ तिमाही हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 32 नगरपालिका परिषदों को संलग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 की चतुर्थ किश्त हेतु रु0 289727000.00 (रू0 अठ्ठाईस करोड़ सतानबे लाख सताईस हजार मात्र) की धनराशि तदर्थ आधार पर संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु संस्तुत धनराशि से पूर्व में आवंटित धनराशि को समायोजित कर लिया गया है।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(3) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन -आयोजनेत्तर -01-नगरीय स्थानीय निकाय-192-नगरपालिका/नगर निकाय-00-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः- यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

संख्याः- 1758 (1)/XXVII(1)/2006 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल ।
3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमायूँ, उत्तराँचल।
4- निदेशक शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6- निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
7- समस्त वरिष्ठ जिला कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरांचल।
8- विभागीय अधिकारी / वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
10- एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

25/12/2006

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या:- 1758 /XXVII(1)/2006 दिनांक-२८ दिसम्बर,2006 का संलग्नक

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल द्वारा शहरी स्थानीय निकाय-नगर पालिका परिषदों हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए संस्तुत समनुदेशन की चतुर्थ किश्त का आवंटन।

क्र0सं0	नगरपालिका का नाम	अन्तिम किश्त अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 हजार में
1	2	3
1	उत्तरकाशी	12797
2	जोशीमठ	9372
3	चमोली	12974
4	नई टिहरी	14304
5	नरेन्द्र नगर	2074
6	मसूरी	43096
7	विकासनगर	2359
8	ऋषिकेश	10787
9	दुगड्डा	390
10	कोटद्वार	10402
11	श्रीनगर	3638
12	पौड़ी	8336
13	टनकपुर	3401
14	रामनगर	3680
15	नैनीताल	21558
16	भवाली	798
17	हल्द्वानी	22555
18	जसपुर	3490
19	काशीपुर	7263
20	बाजपुर	1700
21	गदरपुर	3152
22	रूद्रपुर	22937
23	किच्छा	3302
24	सितारगंज	3064
25	खटीमा	5043
26	रूड़की	7584
27	मंगलौर	3343
28	हरिद्वार	13680
29	पिथौरागढ़	14140
30	अल्मोड़ा	5516
31	बागेश्वर	4032
32	रुद्रप्रयाग	8960
	योग:-	289727

(रू0 अट्ठाईस करोड़ सतानबे लाख सताईस हजार मात्र)

(एल0एम0 पन्त) 20/12/2006
अपर सचिव (वित्त)

:\SFC\Raj Vit Ayog GO\Nagar Panchayat.xlsnode-< NPP final